# अंचल अधिकारी का कार्यालय गोड्डा सदर।

आदेश फलक

विविध वाद अभिलेख सं0 04 / 2019–20

मौजा–रानीडीह
थाना नं0–442

| दिनांक | पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर | अनुपालन |
|---|---|---|

18.03.2020 आवेदक श्री श्रीकांत मंडल पिता स्व शंभु मंडल वो अन्य सा0 सरौनी द्वारा मौजा रानीडीह के पंजी–II के जमाबन्दी सं0 61 के अन्तर्गत भूदानी पट्टा के आधार पर पंजी 2 में कायम खाता को विलोपित कर खतियानी रैयत का नाम दर्ज करने के संबंध में आवेदन समर्पित किया है। प्राप्त आवेदन पत्र के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन मागें।

लेखापित
अंचल अधिकारी

18.3.2020
अंचल अधिकारी
गोड्डा सदर।

21.03.2020 अभिलेख उपस्थापित। सबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा रानीडीह थाना सं0 442 के जमाबन्दी सं0 61 खतियानी रकवा 02–14–03 धूर भूमि गत सर्वे खतियान में जमाबंदी रैयत राधु मंडल वो केसो मंडल वो तिलो मंडल पे0 साधु मंडल वो लखन मंडल वो शंभु मंडल पे0 हरि मंडल कौम सुड़ी सा0 सरौनी के नाम दर्ज है। इस खाते के अंदर कुल दो खेसरा कमशः 814 रकवा 01–10–10 धूर किस्म बाड़ी सौयम एवं 815 रकवा 01–03–13 धूर किस्म बाड़ी सोयम गत सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी–II जो काफी जीर्ण शीर्ण है, के पृष्ठ सं0 70 में होल्डिंग नं0 61 दर्ज है, जिसमें केवल रैयत का नाम अंकित है, किन्तु रकवा एवं लगान दर्ज नही है, प्राधिकार कॉलम में " सभी जमीन भूदान में अलग–अलग हो गई है " अंकित है, जबकि संलग्न पर्चा के अनुसार उक्त भूमि का बारह आना (पचहत्तर पैसा) गेंजर खतियान में लगान धार्य है। किन्तु इसी पंजी में होल्डिंग सं0 61/1 में रैयत बैधनाथ नन्दी पिता गौर नन्दी, होल्डिंग सं0 61/2 में रैयत शीबू साव पिता मतल साव, होल्डिंग सं0 61/3 में रैयत बद्रीनाथ साव पिता विपुल साव एवं होल्डिंग नं0 61/4 में रैयत अनन्तलाल साह पिता राजकिशोर साह दर्ज है, किन्तु किसी के परिवर्त्तन के प्राधिकार कॉलम में कुछ भी अंकित नही है। जांच के कम में उक्त पंजी 2 रैयतों द्वारा अंचल अधिकारी गोड्डा के भूदान वाद सं0 08/1965–66 वैधनाथ नन्दी वो अन्य की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया, (जो अभिलेख में संलग्न है) जिसमें मंत्री, जिला भूदान यज्ञ कमिटी देवघर के पत्रांक–47 दिनांक 23.04.1965 से प्राप्त मौजा रानीडीह के भूमि निम्न आदाताओं को दी गई है:–

| कम | आदाता का नाम | खेसरा सं0 | भूमि का रकवा |
|---|---|---|---|
| 1 | वैधनाथ नन्दी | 815 | 0.37 एकड़ |
| 2 | शीबु साव | 815 | 0.37 एकड़ |
| 3 | बद्रीनाथ साव | 815 | 0.74 एकड़ |
| 4 | अनन्तलाल साव | 814 एवं 815 | 0.79 एकड़ |

कुल– 2.27 एकड़

स्थल जांच में प्रश्नगत भूमि पर किसी भी पंजी 2 रैयत या उनके वारिसानों का दखल–कब्जा नही पाया गया। स्थल की भौतिक स्थिति का फोटोग्राफ संलग्न है। साथ ही भूदान से प्राप्त भूमि का भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय द्वारा संपुष्टि से संबंधित कोई दस्तावेज आदाताओं द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। ज्ञात होकि कुल खतियानी रकवा 1.69 एकड़ से अधिक भूमि रकवा 2.27 एकड़ का भूदान के तहत वितरण होना संदेहास्पद है तथा किनके आदेश से प्रविष्टि की गई यह भी पंजी 2 के प्राधिकार कॉलम में अंकित नही है, जो भ्रामक है। उक्त परिपेक्ष्य में मौजा रानीडीह थाना नं0 442 के जमाबंदी सं0 61 में खतियानी रैयत का नाम पंजी 2 में संपूर्ण रकवा के साथ दर्ज करते हुए भूदान आदाताओं के नाम से कायम खाता को विलोपित करने की अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त आदाताओं/वारिसानों को साक्ष्य के साथ उपस्थित होने के लिए नोटिस तैयार कर उपस्थापित करें।

लेखापित
अंचल अधिकारी

21-3.2020
अंचल अधिकारी
गोड्डा सदर।

24.06.2020 अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी को नोटिस निर्गत करने हेतु नोटिस का प्रारूप तैयार कर अवलोकनार्थ उपस्थापित किया गया है। दिनांक 01.07.2020 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष कारणपृच्छा के साथ विपक्षी को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें।

लेखापित
अंचल अधिकारी

24.6.2020
अंचल अधिकारी
गोड्डा सदर।

01.07.2020 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्रति प्राप्त। आदातागण के वारिसानों के द्वारा दिनांक 01.07.2020 को उपस्थित हो कर लिखित कारणपृच्छा के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु एक माह का समयावधि की मांग की गई है परन्तु राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन में अंकित है कि इनके द्वारा उक्त के संबंध में दस्तावेज की छायाप्रति समर्पित किया है, जो अभिलेख में संलग्न है। इसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी द्वारा वाद निस्पादन में विल्मब करने हेतु समयावधि की मांग की गई, जिसे अस्वीकृत किया जाता है। दिनांक 04.07.2020 को अधोहस्ताक्षरी के साथ स्थलीय संयुक्त जांच हेतु संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/प्रभारी अंचल निरीक्षक को उपस्थित रहने का निदेश दें।

लेखापित
अंचल अधिकारी

1.7.2020
अंचल अधिकारी
गोड्डा सदर।

04.07.2020 अभिलेख उपस्थापित। दिनांक 04.07.2020 को वादगत भूमि का अधोहस्ताक्षरी द्वारा संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल अमीन/प्रभारी अंचल निरीक्षक के साथ संयुक्त जांच किया गया। स्थल निरीक्षण में पाया कि वादगत भूमि पर आदाताओं/वारिसानों का भूमि की प्राप्ति की तिथि से अबतक जोत–कोड़ एवं दखल कब्जा नही है। भूदान से प्राप्त भूमि का भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता के न्यायालय द्वारा संपुष्टि से संबंधित कोई दास्तावेज आदाताओं/वारिसानों द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। जांच के कम में पाया कि उक्त भूमि अभी भी दाताओं के बंशज के दखल कब्जा में है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंजी 2 में सक्षम पदाधिकारी के आदेश बगैर ही उक्त भूमि का आदाताओं के नाम से प्रविष्टि कर दी गई है।

अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं उपरोक्त परीपेक्ष्य में पंजी 2 खाता सं0 61/1, 61/2, 61/3 एवं 61/4 को विलोपित कर मूल जमाबंदी सं0 61 कायम करते हुए ऑनलाईन प्रविष्टि करने का आदेश संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक को दिया जाता है। अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है।

लेखापित
अंचल अधिकारी

8.7.2020
अंचल अधिकारी
गोड्डा सदर।